संख्या– 09 /12–3–2017–100(61)/12टी.सी.

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 08 जनवरी, 2018

विषय– कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी चयन तथा अनुदान के डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) तथा अन्य भुगतानों हेतु प्रक्रिया व दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक–अभि0/1262/2017–18, दिनांक 03.01.2018 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–543/12–3–2017–100(61)/2012टी.सी., दिनांक 26.05.2017 एवं शासनादेश संख्या–1074/12–3–2017–100(61)/2012टी.सी., दिनांक 25.10.2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 31.03.2017 तक पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों में से सहमति प्रदान करने वाले कृषकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों/सोलर पंप/पंपसेट इत्यादि के लिए पात्र माना गया था। इस प्रणाली/व्यवस्था के अन्तर्गत कई जनपदों में लक्ष्य से कम अभ्यर्थी चयनित हो पाए हैं। शेष अभ्यर्थियों के चयन हेतु 01.04.2017 से पंजीकरण कराने वाले कृषकों में से "पहले आओ, पहले पाओं" के आधार पर चयन कर लिया जाए तथा क्लस्टर प्रदर्शन के प्रकरण में क्लस्टर के कृषकों में से ही "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर लाभ उपलब्ध कराया जाए।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

सं0– (1)/12–3–17–तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, गन्ना विभाग, उ0प्र0 शासन। ।
5– प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10– प्रमुख सचिव, दुग्ध विभाग, उ0प्र0 शासन।
11– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।

Scanned by CamScanner